न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–75/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बुद्धा पुत्र श्री भौरया जाति मीणा,
2. गोविन्द सहाय पुत्र श्री बुद्धा जाति मीणा निवासीयान ग्राम बिचगांवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर रज0 ।

..... वादी/अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, अलवर ।
2. राज0 राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ राज0 ।

..... प्रतिवादीगण/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री विमल कुमार जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 24.06.2016 व डिक्री दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख. नं. साबिक 487 जिसे मिलान क्षेत्रफल में गलती से 587 दर्ज कर रखा है जिसके हाल ख0 नं0 590 रकबा 10 बिस्वा है जो आराजी विवादित है । आराजी ख0 नं0 487 का रकबा पूर्व में 41 बीघा 12 बिस्वा था जिसमें 40 बींघा 12 बिस्वा सरकारी आबादी में दर्ज हो गया एवं 14 बिस्वा वादी बुद्धा, ख्याली, जमना के नाम गैर मुमकिन बाड़ा अर्ज आबादी एवं 6 बिस्वां हजारी, रेवती पुत्रान नत्थू के नाम गैर मुमकिन बाड़ा अर्ज आबादी दर्ज थी । सम्वत् 2028 में जब बन्दोबस्त विभाग ने मिलान क्षेत्रफल तैयार किया तो उस समय ख0 नं0 487 की जगह सहवन से 587 दर्ज कर दिया जबकि गत ख0 नं0 487 ही दर्ज होना चाहिए था । बन्दोबस्त विभाग द्वारा 14 बिस्वा वादीगण की आराजी में से 4 बिस्वा आराजी हजारी, रेवती पुत्रान नत्थू के नाम ख0 नं0 587 में सालिम कर दी गई जबकि हमारी रेवती की ख0 नं0 487 में से 6 बिस्वा आराजी थी उसका नया नम्बर 591 रकबा 10 बिस्वा बना दिया एवं 4 बिस्वा आराजी को

सहवन से ख0 नं0 590 में दर्ज कर दिया । गत ख0 नं0 587 रकबा 14 बिस्वा धन्ना पुत्र रामलाल जैन का था जिसका नया नम्बर 465, 457, 458 बने हैं । बन्दोबस्त कर्मचारियों ने गत ख0 नं0 487 को 587 दर्ज कर दिया, 487 ही दर्ज करना चाहिए था । वादीगण का नाम हाल मिलान क्षेत्रफल में 587 गत ख0 नं0 दर्ज चला आ रहा है जबकि यह नम्बर वादीगण का न होकर धन्ना पुत्र रामलाल जैन का था । हाल ख0 नं0 590 जो हाल रेकार्ड में बाड़ा ही दर्ज है, वादीगण की आराजी है जो 10 बिस्वा वादीगण बुद्धा व गोविन्द सहाय के नाम दर्ज होनी चाहिए क्योंकि 14 बिस्वा में से पौने 5 – पौने 5 बिस्वा जमीन बुद्धा व ख्याली के हिस्से में आती है । ख्याली के हिस्से पर जर्ये वसीयत वादी सं0 2 काबिज है । विवादित आराजी बाड़ा वादीगण का तन्हा है जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । इसलिए ख0 नं0 साबिक 487 जो मिलान क्षेत्रफल में 587 दर्ज कर रखा है उसे 487 दर्ज किया जावें तथा ख0 नं0 590 रकबा 10 बिस्वा बाड़ा का वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन करते हुए वाद वादीगण डिक्री करने की इस्तदुआ की । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 24.06.2016 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 24.06.2016 व डिक्री दि0 08.08.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय में अपीलांट के दावे में नियमित सुनवाई चल रही थी किन्तु विगत पेशी दि0 12.07.2016 को पेशी साक्ष्य हेतु नियत थी किन्तु इससे पूर्व ही वादी को बिना सूचना दिये व बिना साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये पंत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर दावा दावा ही खारिज कर दिया जिसमें निर्णय विधि अनुसार मैरिट पर नहीं किया गया तथा तनकीयात का भी उल्लेख नहीं है जो कि बादं जवाबदावा बनायी गयी थी । अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति है तथा दि0 12.07.2016 की पेशी पर जब अपीलांट अपने वकील के साथ तहत न्यायालय में गया तब पता चला कि मुकदमें का निर्णय कैम्प में ही कर दिया गया है । साबिक ख0 नं0 487 जिसका हाल नम्बर 590 बना है जगना, ख्याली, बुद्धा पि0 भौरा समान भाग साकिन देह खातेदारी में जमाबन्दी सम्वत् 2016–19 में दर्ज रेकार्ड है । इसके बावजूद तहत न्यायालय ने आलौच्य निर्णय में यह दर्ज कर दिया कि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में आराजी खातेदारी में दर्ज नहीं रही है । तहत न्यायालय ने जब दावे में तनकी कायम नहीं हुई थी तो तहत न्यायालय को पक्षकारों से साक्ष्य लेकर ही मुकदमें का निर्णय मैरिट पर करना चाहिए था । तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और बिना साक्ष्य लिये ही दावे का निर्णय बिना सोचे, समझे बिना रेकार्ड की जांच किये बिना कब्जे की जांच किये पारित कर दिया । वादीगण को कैम्प कोर्ट के लिए कोई नोटिस देकर तलब नहीं किया और वादीगण की उपस्थिति में व उनको सुनकर निर्णय पारित नहीं किया है । कैम्प कोर्ट में निर्णय के लिए अपीलांट से कोई सहमति

भी नहीं ली गयी है । पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखिय व मौखिक साक्ष्य से अपीलांट का दावा कब्जा एवं काश्त दोनों से बखूबी साबित था जबकि वास्तविकता यह है कि कैम्प कोर्ट में निर्णय लिखाया ही नहीं गया न ही सम्भव है । कैम्प में बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलांट का दावा खारिज कर दिया और बाद में निर्णय लिखाया गया है और पर्चा डिक्री भी काफी समय बाद बनायी गयी है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब में पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है किख0 नं0 590 रबा 10 बिस्वा कभी भी वादीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं रहा है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0 नं0 हाल 590 रकबा 10 बिस्वा के साबिक ख0 नं0 587 रकबा 10 बिस्वा है तथा साबिक ख0 नं0 487 से हाल ख0 नं0 590 रकबा 10 बिस्वा बनने का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है । इसलिए विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण को सुनकर विधिवत् आदेश पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के आदेश का विवेचन किया गया । तहत न्यायालय ने साबिक रेकार्ड का अवलोकन करते हुए कहा है कि साबिक ख0 नं0 487 व 587 किस प्रकार से एक–दूसरे के स्थान पर गलत बने हैं । यह रेकार्ड से साबित नहीं किया है । द्वितीय विवादित आराजी पर जिस पर खातेदारी चाही गयी है, वह किस्म के अनुसार गैर मुमकिन बाड़ा है और गैर मुमकिन बाड़ा पर किसी प्रकार की खातेदारी नहीं दी जा सकती है । अतः तहत न्यायालय ने विवेचनयुक्त, विधिसम्मत निर्णय पारित किया है और अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दि0 24.06.2016 व डिक्री दिनांक 08.08.2016 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.7.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर